भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

19 DEC 2011

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 076976

विक्रय विलेख

यह अंकन 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री** हरचरन सिंह **सारंग निवासी–364 प्रभात नगर पैट्रोल** पम्प के पीछे, **मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की सैनिक विहार **आवासीय योजना**, के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या डी–29 के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष
(बी० एन० शर्मा)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

106

106

विक्रय पत्र

546,028.00/ **547,000.00**

10,000.00	20	10,020.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

प्रतिफल — मालियत

श्री — बब्बू सारंग

पुत्र श्री — हरचरन सिंह सारंग

व्यवसाय — नौकरी

निवासी स्थायी — 364, प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे मेरठ मय सर्विस कार्ड

अस्थायी पता — -

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/3/2012 समय 12:39PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राम दयाल

उप निबन्धक चतुर्थ

मेरठ सदर-IV

देशराज सिंह

नि० लि०

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री तारा सिंह स०लि०

प्रतिनिधि बी०एम० गोयल सम्पत्ति अधिकारी

पुत्र श्री -

पुत्र/पत्नी श्री पेशा नौकरी

क्रेता

श्री बब्बू सारंग

पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग

पेशा नौकरी

निवासी 364, प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे मेरठ मय सर्विस कार्ड

9/3/2012

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री पवन किशोर

पुत्र श्री स्व0 सत्य नारायण

पेशा अन्य

निवासी गली नं0- 5 शेरगढ़ी शास्त्री नगर मेरठ

व श्री अलंकार सिंह

पुत्र श्री चरन सिंह

पेशा अन्य

निवासी 208 ए तिलक पार्क सदर मेरठ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राम दयाल

उप निबन्धक चतुर्थ

मेरठ सदर-IV

9/3/2012

देशराज सिंह

नि० लि०

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

INDIA

सत्यमेव जयते

351816

(उत्)तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विकय विलेख

यह अंकन 15,000/– रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री** हरचरन सिंह **सारंग निवासी–364 प्रभात नगर पैट्रोल** पम्प के पीछे, **मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक** विहार **आवासीय योजना**, के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के **भूखण्ड** संख्या **डी–29** के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विकय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष
(डी० एम० गोयल)
सहायक अभियन्ता /
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

...OF PLOT NO.D-29 TO D-38
...CKET -"D" SAINIK VIHAR
...RDHANA ROAD, MEERUT.

N
W E
S

PLOT NO.- D-29

PLOT AREA= 133.68 वर्गमीटर

EAST - अविकसित

WEST - प्लाट नं. D-30

NORTH - गाँव की आबादी

SOUTH - 9.00 मी. चौड़ी सड़क

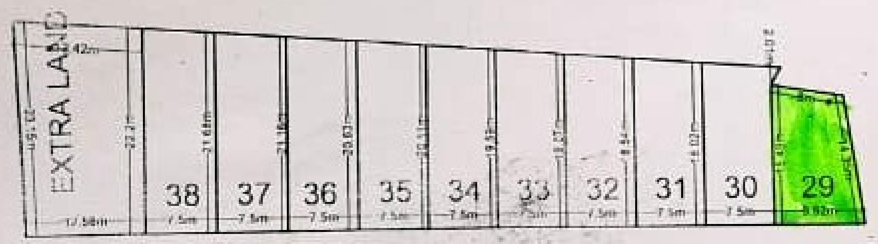

9.00 M. WIDE ROAD

15/12/11

SUR./ D/MAN | J.E. | A.E. | E.E.

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY, MEERUT.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

19 DEC 2011

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 076975

विक्रय विलेख

यह अंकन 1,000/– रूपये (एक हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग निवासी–364 प्रभात** नगर **पैट्रोल** पम्प के पीछे, **मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक** विहार **आवासीय योजना,** के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के **भूखण्ड** संख्या **डी–29** के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष

(बी० एम० गोयल)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

आवासीय भूखण्ड का विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख सन् 2012 ई0 के माह मार्च के 09 वे दिवस को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ जिसका मुख्यालय मेरठ में है तथा जिसका समस्त कार्य उसके उपाध्यक्ष के माध्यम से होता है तथा जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी समनुदेशिती तथा अभ्यार्पिति सम्मिलित होगें, जिन्हें विलेख में आगे चलकर 'प्रथम पक्ष' विक्रेता उल्लिखित किया गया है एवं **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग निवासी–364 प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे, मेरठ** तथा जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रतिनिधि तथा अनुमति प्राप्त नामित एवं अभ्यार्पिति सम्मिलित होगें जिसे आगे चलकर इस विलेख में **'द्वितीय पक्ष' केता शब्द** से उल्लिखित किया गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता हैं।

चूंकि प्रथम पक्ष **सैनिक विहार आवासीय योजना** के पॉकेट में स्थित मध्यम **आय वर्ग श्रेणी** के आवासीय भूखण्ड **संख्या डी–29** का पूर्ण स्वामी है। उक्त आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल **133.68 वर्ग मीटर** है और जिसकी चतुर्थ सीमायें एवं नाप इस विलेख के अन्त में दर्शायी गयी हैं एवं उपरोक्त अचल सम्पत्ति का नक्शा भी संलग्न है, को द्वितीय पक्ष माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश से प्रतिकर मद में देय बढ़ी धनराशि सहित अंकन रूपये **4,87,525/– (शब्दो में चार लाख सतासी हजार पांच सौ पच्चिस)** के प्रीमियम के प्रतिफल स्वरूप रूपये **4,87,525/– (शब्दो में चार लाख सतासी हजार पांच सौ पच्चिस)** का एवं उक्त भूखण्ड में निहित भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड धनराशि अंकन रू0 **58,503.00** का भुगतान केता द्वारा विक्रेता को करने के उपरान्त प्रथम पक्ष उसे विक्रय करने तथा द्वितीय पक्ष कय करने को सहमत हुआ है। उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष के पक्ष में निम्नलिखित अधिकार सदैव आरक्षित रहेगें।

सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अर्जन सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

<u>विक्रीत सम्पत्ति का विवरण</u>

[illegible] का नाम सैनिक विहार आवासीय योजना भूखण्ड संख्या डी–29 कुल क्षेत्रफल 133.68 वर्ग मी0 जिसकी चारो दिशाओं की नापे व सीमाये निम्नवत् है:–

	नापे		सीमायें।
उत्तर	साईट प्लान के अनुसार	उत्तर की ओर	साईट प्लान के अनुसार
दक्षिण	साईट प्लान के अनुसार	दक्षित की ओर	साईट प्लान के अनुसार
पूरब	साईट प्लान के अनुसार	पूरब की ओर	साईट प्लान के अनुसार
पश्चिम	साईट प्लान के अनुसार	पश्चिम की ओर	साईट प्लान के अनुसार

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को इस विलेख पर सुनकर/समक्षकर/पढ़कर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

[signature]

मेरठ विकास प्राधिकरण के लिये एवं उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी)

सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

प्रथम पक्ष–विक्रेता

[signature]

आवंटी।
द्वितीय पक्ष–क्रेता।

साक्षीगण:–

1. हस्ताक्षर [signature]
   नाम [illegible] सिंह
   पिता/पति का नाम स्व. [illegible] सिंह
   पता [illegible] मेरठ

2. हस्ताक्षर Ajay Rana
   नाम Ajay Rana S/ Jagbir Singh
   पिता/पति का नाम Sainik Vihar [illegible] Meerut
   पता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 07

<u>विक्रय विलेख</u>

यह अंकन 100/- रूपये (एक सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग निवासी-364** प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे, **मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक विहार आवासीय योजना**, के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के **भूखण्ड** संख्या **डी-29** के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष

सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

यह कि विकीत आवासीय भूखण्ड द्वितीय पक्ष के पूर्ण स्वामित्व अधिकार में दिया जा रहा है जिसके प्रतिफल स्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रतिकर मद में देय बढ़ी धनराशि सहित अंकन रूपये **4,87,525/–**एवं 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड धनराशि अंकन रू0 **58,503.00** का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से पहले ही प्राप्त किया जा चुका हैं जिसकी प्राप्ति एतद् द्वारा स्वीकार करता हैं।

2. यह कि विकीत आवासीय भूखण्ड के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का कोई कर, परिव्यय या अन्य कोई देय उत्पन्न होता हैं तो उसका समस्त भुगतान करने का भार द्वितीय पक्ष पर होगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष बाध्य होगा कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, मेरठ अथवा अन्य किसी संस्था की वर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी ऐसी उपविधियों, नियमों का पालन करेगा जो अचल सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हो अथवा उक्त स्थान के अन्य निवासियों, सुरक्षा पर प्रभाव डालते हों।
4. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अथवा प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र में अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त आवासीय भूखण्ड पर तत् समय हुये निर्माणों में न तो कोई परिवर्तन या परिवर्धन करेगा या किये जाने की अनुमति देगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष की सहमति के बिना उक्त विकीत अचल सम्पत्ति का प्रयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजन या ऊपर वर्णित प्रयोजन के अतिरिक्त करेगा न ही किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किसी अन्य को किये जाने की अनुमति देगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में आवासीय भूखण्ड को न तो खण्डित करेगा और न ही प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना खण्डित करके उसका उपविभाजन करेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के सदस्यों/अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मचारियों को विकीत आवासीय भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले आवासीय भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिससे कि निरीक्षण तथा उपरोक्त वर्णित आवश्यक कार्यो में कोई बाधा न हो।
8. यह कि द्वितीय पक्ष को केता द्वारा या उनके माध्यम/अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तो के उल्लंघन करने के कारण आवासीय भूखण्ड का नया विलेख स्वीकार करने के कारण कोई हानि वहन करनी पड़ती है तो ऐसी हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जा सकेगी।
9. यह कि विकीत आवासीय भूखण्ड के हस्तान्तरण विलेख तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विलेख के निष्पादन एवं उसके निबन्धन के सम्बन्ध में होने वाले समस्त स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

(बी० एम० गोयल)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

19 DEC 2011

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 07191

विक्रय विलेख

यह अंकन 100/- रूपये (एक सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग निवासी-364 प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे, मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक विहार आवासीय योजना**, के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के **भूखण्ड संख्या डी-29** के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष

(डी० एन० गोयल)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 071917

19 DEC

विक्रय विलेख

यह अंकन 100/– रूपये (एक सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग निवासी–364 प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे, मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक विहार आवासीय योजना,** के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या **डी–29** के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष

(डी० एम० गोयल)

सहायक अभियन्ता/

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

1545/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

19 DEC 2011

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 272541

(डी० एन० गोयल)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

विक्रय विलेख

यह अंकन 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री हरचरन सिंह सारंग निवासी–364 प्रभात नगर पैट्रोल पम्प के पीछे, मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक विहार आवासीय योजना**, के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या डी–29 के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष
(डी० एन० गोयल)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

19 DEC 2011

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH U 076974

विकय विलेख

यह अंकन 1,000/– रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का जनरल स्टाम्प **श्री बब्बू सारंग पुत्र श्री** हरचरन सिंह **सारंग निवासी–364 प्रभात नगर पैट्रोल पम्प** के पीछे, **मेरठ** के पक्ष में प्राधिकारण की **सैनिक** विहार **आवासीय योजना**, के अन्तर्गत पाकेट "डी" में आवंटित आवासीय मध्यम आय वर्ग श्रेणी के **भूखण्ड** संख्या **डी–29** के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निष्पादित विकय विलेख के साथ संलग्न है।

प्रथम पक्ष
(बी० एम० पैपल)
सहायक अभियन्ता/
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

द्वितीय पक्ष